

21.06.2018

एमजेसी- 13/15

डिक्रीदार अनुपस्थित उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं।
मद्यूनगण अनिवारित।

प्रकरण वसूली वारंट की रिपोर्ट हेतु नियत है। वसूली वारंट जारी किये जाने बावत तलवाना पेश नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक की ओर से 2016 से तलवाना पेश नहीं किया जा रहा है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि डिक्रीदार उक्त प्रकरण में कोई रुचि नहीं ले रहा है। इस समय 4:45 होने को हैं। डिक्रीदार एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित एवं तलवाना के अभाव में प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी / विधिक उपकरण